केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
एकलव्य परिसर, (त्रिपुरा)- 799210
(संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'A++' ग्रेड प्राप्त

दिनांक: 26.09.2026

कार्यालय आदेश /Office Order - 216

एकलव्य परिसर के समस्त विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व सूचना पत्र संख्या 2026-2027/192, दिनांक 26.09.2026 के अनुपालन में, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के ग्राम समिति आम चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 28.09.2026 (सोमवार) को शासकीय अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 27.09.2026 को साप्ताहिक अवकाश (रविवार) होने के कारण उक्त दोनों दिवसों (दिनांक 27.09.2026 एवं 28.09.2026) में परिसर पूर्णतः बन्द रहेगा।

परिसर में सुचारु व्यवस्था, अनुशासन एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:

1. उक्त दोनों दिवसों (दिनांक 27.09.2026 एवं 28.09.2026) में परिसर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की खेलकूद, अभ्यास या क्रीड़ा गतिविधियाँ पूर्णतः स्थगित रहेंगी।
2. उक्त अवकाश अवधि में किसी भी छात्रावासेतर (Day-Scholar) छात्र-छात्रा का परिसर में प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
3. परिसर में तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं सुरक्षा प्रहरियों को कड़ाई से निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य द्वार पर सतर्कता रखें तथा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अथवा छात्रावासेतर छात्र-छात्राओं को परिसर के भीतर प्रवेश न करने दें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या संदेहास्पद स्थिति पाए जाने पर तत्काल सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें।
4. छात्रावासों में निवासरत समस्त छात्र-छात्राएं परिसर के अनुशासन एवं आचार संहिता का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे।

26.9.2026

(प्रो. जी. सी. एस. नेगी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सहनिदेशक, के.सं.वि., एकलव्य परिसर, अगरतला।
2. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. (IQAC), एकलव्य परिसर, अगरतला।
3. समन्यवक क्रीड़ा समिति, एकलव्य परिसर।
4. शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

5. समस्त अनुशासन समिति सदस्यगण, एकलव्य परिसर।
6. वार्डन एवं उपवार्डन, समस्त छात्रावास (बालक एवं बालिका छात्रावास) ।
7. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन/लेखा), एकलव्य परिसर, अगरतला।
8. संपदा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सभी सम्बन्धित सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें।
9. सुरक्षा सुपरवाइजर/समस्त सुरक्षा गार्ड, मुख्य द्वार एवं परिसर (सख्त अनुपालनार्थ) ।
10. तकनीकी सहायक, वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर प्रदर्शन हेतु।
11. समस्त छात्र-छात्राएं, एकलव्य परिसर।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. सूचना पट्ट।

निदेशक